प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4274 / 2000

याचिकाकर्तागण: श्रीमती रुखमणी सूर्यवंशी एवं अन्य।

बनाम

उत्तरवादीगण: बाल विकास परियोजना अधिकारी और अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23 अक्टूबर, 2009 को आदेश की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें

हस्ता/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4274 / 2000

याचिकाकर्तागण: श्रीमती रुखमणी सूर्यवंशी एवं अन्य।

बनाम

उत्तरवादीगण: बाल विकास परियोजना अधिकारी और अन्य।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत याचिका

प्रति: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री वी.जी. तामस्कर, याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता।
श्री आलोक बख्शी, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1, 2, 5 और 6 के शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 23 अक्टूबर 2007 को सुनाया गया)

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्तागण श्रीमती ने एक परमादेश रिट की मांग की है, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 4 को निर्देश दिया जाए कि वह जिला पंचायत, दुर्ग की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति (संक्षेप में 'समिति') द्वारा पारित संकल्प क्रमांक 8 दिनांक 22 अप्रैल, 1999 (अनुलग्नक पी/6) को लागू करें और याचिकाकर्ताओं, जो आंगन बाड़ी कार्यकर्ता हैं, को दो पदोन्नति के अवसर प्रदान करें।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1, 4, 5, 6 और 7 को परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, डौंडी, जिला दुर्ग द्वारा 31 जुलाई, 1984 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) के तहत आंगन बाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्ता क्रमांक 8, 9 और 10 को परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, साजा, जिला दुर्ग द्वारा 2 नवंबर, 1983 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) के तहत नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार याचिकाकर्ता क्रमांक 2, 3 और 11 को भी आंगन बाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। अतिरिक्त संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल कल्याण, मध्य प्रदेश, भोपाल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग को 30 जून, 1998 के पत्र व्यवहार (अनुलग्नक पी/3) के तहत निर्देश दिया था कि आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के मामले में आरक्षण संभाग स्तर पर किया जाना चाहिए। वर्तमान में जिले में रिक्त 50% सीटों पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। जिला पंचायत, दुर्ग के अंतर्गत सभी आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक पी/4) तैयार कर प्रकाशित की गई। इसके बाद नोटशीट क्रमांक 33 (अनुलग्नक पी/5) तैयार की गई जिसमें उन याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल किए गए जिन्हें पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाना प्रस्तावित था। जिला पंचायत, दुर्ग की समिति की एक बैठक 22 अप्रैल, 1999 (अनुलग्नक पी/6) को आयोजित की गई थी। कार्यसूची के प्रस्ताव क्रमांक 8 में नोटशीट (अनुलग्नक पी/5) में सूचीबद्ध 12 आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत करने का संकल्प लिया गया। सभी याचिकाकर्ता, अर्थात याचिकाकर्ता क्रमांक 1 से 11 को क्रमशः क्रम संख्या 10, 5, 6, 7, 8, 11, 9, 2, 3, 4 और 1 पर स्थान मिला।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी.जी.तामस्कर ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के नाम को जिला पंचायत, दुर्ग की समिति द्वारा नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया गया है और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लिया है। श्री तामस्कर ने आगे तर्क दिया कि इसी प्रकार की परिस्थितियों

में, जिला पंचायत, महिला और बाल विकास, खरगोन, (मध्य प्रदेश) ने आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्ग III पर्यवेक्षक (अनुलग्नक पी/7) के रूप में नियुक्त किया है। जिला पंचायत, दुर्ग द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को पदोन्नत न करना मनमाना और अमुक्तिमुक्त है। इस प्रकार, यह याचिका उत्तरवादी क्रमांक 4 को 22 अप्रैल, 1999 (अनुलग्नक पी/6) की समिति की अनुशंसा को क्रियान्वयन करने के निर्देश देने की मांग करती है । यह भी आग्रह किया गया कि सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम दो पदोन्नतियाँ प्रदान करने का निर्देश जारी किया जाए। अपने तर्क के समर्थन में, श्री तामस्कर ने रघुनाथ प्रसाद सिंह बनाम सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, बिहार सरकार एवं अन्य[1] के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंबन लिया है।

4. राज्य/उत्तरवादीगण 1, 2, 5 और 6 की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आलोक बख्शी ने तर्क दिया कि वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से पूर्व 13 मई, 1999 (अनुलग्नक आर/1) को जिला पंचायतों में पर्यवेक्षकों के पद को मृतप्राय संवर्ग घोषित कर दिया गया था, अतः उसके बाद कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी। अन्यथा भी, याचिकाकर्ताओं को इस पद पर नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और समिति द्वारा की गई सिफ़ारिश परामर्शात्मक प्रकृति की है और नियुक्ति प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, और उनके साथ संलग्न दलीलों और दस्तावेजों का अवलोकन किया।

6. निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ताओं को पूर्वोक्त (अनुलग्नक पी/1 और पी/2) आदेशों द्वारा अस्थायी आधार पर आंगन बाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। 30 जून, 1998 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) में आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान नहीं है, बल्कि आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति के मामले में संभाग स्तर पर आरक्षण का प्रावधान है। यह भी निर्विवाद है कि जिला पंचायत, दुर्ग की

1AIR 1988 SC 1033

समिति ने 22 अप्रैल, 1999 की अपनी बैठक में पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अन्य के नाम को भी अनुमोदित किया था। इसके बाद 13 मई, 1999 को (अनुलग्नक आर/1) पर्यवेक्षकों का पद समाप्त हो गया क्योंकि इसे मृतप्राय कैडर घोषित कर दिया गया और इस प्रकार कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी।

7. याचिकाकर्तागण का यह तर्क कि जिला पंचायत, खरगोन में 15 जून, 1999 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, प्रासंगिक नहीं हो सकता क्योंकि यह मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर निर्भर करता है। यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 13 मई, 1999 के ज्ञापन की जानकारी नहीं है और उन्होंने कुछ नियुक्तियाँ की हैं, तो वर्तमान याचिकाकर्ता उस आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। श्री तामस्कर का यह तर्क कि उत्तरवादीगण की कार्रवाई मनमानी और अमुक्तिमुक्त होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, खारिज किया जाता है। अन्यथा भी, याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया है क्योंकि नियुक्ति जिला पंचायत, दुर्ग की समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर जिला पंचायत, दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जानी थी। यह मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर निर्भर है कि वह मामले के सभी तथ्यों और सिफारिशों की जाँच करे और नियुक्ति के लिए उचित आदेश पारित करे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के तहत समानता के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "यह अब सर्वविदित है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सकारात्मक प्रभाव रखता है। समानता का खंड उस मामले में लागू नहीं हो सकता जहाँ यह अवैधता से उत्पन्न होता है"। (देखें: महाप्रबंधक, उत्तरांचल जल संस्थान बनाम लक्ष्मी देवी एवं अन्य[2])।

9. छत्तीसगढ़ पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां एवं कृत्य) नियम, 1995 (संक्षेप में नियम, 1995) के नियम 3(च) एवं (झ) निम्नानुसार हैं:

2(2009)7 SCC 205

"3. अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ कार्यपालक शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगी; जो-

(च) पंचायत के संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई करेगा;

(i) पंचायत या स्थायी समिति की बैठक की तारीख से तीन दिन के भीतर ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट विहित अधिकारी को देगा जहां उसकी राय में पंचायत या किसी स्थायी समिति के अध्यक्ष या सभापति का कोई कार्य या किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन अधिनियम या उसके अधीन विचरित नियमों या अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश या अनुदेश के उपबंधों के अनुसार नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. नियम, 1995 के नियम 5 में यह प्रावधान है कि "मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्य और कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो उसे पंचायत द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएँ या राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएँ।"

11. नियम, 1995 के नियम 6 में यह प्रावधान है कि "पंचायत का कोई भी आदेश तभी वैध होगा जब वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर से जारी किया गया हो।"

12. नियम, 1995 के नियम 3(च), नियम 5 और 6 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह जाँच करेगा कि क्या कोई अनुशंसा अधिनियम और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार है या अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों या अनुदेशों के अधीन है। मामले के तथ्यों के अनुसार, 13 मई, 1999 के अनुदेश, जिनमें नियुक्ति आदेश पारित न करने और उसके बाद

---

[2](2009) 7 एससीसी 205

पर्यवेक्षक तथा सहायक महिला एवं बाल कल्याण विस्तार अधिकारी के पद को अन्यत्र तैनात न करने का प्रावधान था, को मृतप्राय संवर्ग घोषित किया गया था।

13. सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन एवं अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं अन्य[3] मामले में, अनुशंसा के प्रभाव पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि "हमें यह अभिनिर्धारित करना कठिन लगता है कि डीडीए की तकनीकी समिति की अनुशंसा अपीलकर्ताओं को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले आदेश के रूप में फलित हुई है"।

14. भारत संघ बनाम अरुण ज्योति कुंडू एवं अन्य[4] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "16...जब तक सरकार संवर्गों के विलय की अनुशंसा को स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक न्यायालय केवल अनुशंसा के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता या सरकार को अनुशंसा स्वीकार करने का निर्देश नहीं दे सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. शंकरसन दाश बनाम भारत संघ[5] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियाँ अधिसूचित की जाती हैं और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार योग्य नहीं पाए जाते हैं, तो सफल उम्मीदवार नियुक्ति का एक अविभाज्य अधिकार प्राप्त कर लेते हैं जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता।"

16. इसके बाद लुधियाना सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम अमरीक सिंह एवं अन्य[6] मामले में भी यही बात लागू हुई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "वैसे भी, अब तक यह पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि जिस व्यक्ति

3(2009)1 SCC 180
4(2007) 7 SCC 472
5(1991) 3 SCC 47
6(2003) 10 SCC 136

का नाम चयन पैनल में शामिल माना जाता है, उसे रिक्तियों के बावजूद उस पद पर नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं है।"

17. इसके अलावा, भारत संघ एवं अन्य बनाम काली दास बातिश एवं अन्य[7] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "केवल चयन सूची में किसी उम्मीदवार का नाम शामिल होने मात्र से उसे कोई अधिकार नहीं मिल जाता, और यदि कोई अधिकार नहीं है, तो अस्तित्वहीन अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका कायम रखने का कोई कारण नहीं हो सकता ।

18. इस न्यायालय ने राजेश कुमार देवांगन बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य[8] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि "याचिकाकर्ता को उसके चयन के आधार पर सहायक के पद पर नियुक्त होने का कोई अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं है" और "यद्यपि वह चयन प्रक्रिया में सफल रहा है, फिर भी उसे नियुक्ति पत्र जारी करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम की अनुशंसा जिला पंचायत, दुर्ग की समिति द्वारा की गई थी, तत्पश्चात् ज्ञापन दिनांक 13 मई, 1999 (अनुलग्नक आर/1) के कारण कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी, इसमें कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है।

20. रघुनाथ प्रसाद सिंह (पूवेक्ति) मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा यह अवलंन लिया गया था कि राज्य सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति के कम से कम दो अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया जाए, राज्य सरकार रघुनाथ प्रसाद सिंह (पूवेक्ति) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार कर सकती है, क्योंकि यह नीतिगत निर्णय का मामला है। यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का

7(2006) 1 SCC 779
82007 (3) MPHT 22 (CG)

प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश नहीं दे सकता, जिसमें वित्तीय निहितार्थ शामिल हों और राज्य को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों के बारे में निर्णय लेना हो।

21. उपर्युक्त कारणों से, रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

हस्ता/–

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)